

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-6/8/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के सभी कार्यरत शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	गया	गया नगर निगम	4,17,69,000.00
2	भागलपुर	भागलपुर नगर निगम	3,50,16,600.00
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	4,14,30,600.00
4	कटिहार	कटिहार नगर निगम	2,11,99,800.00
योग			13,94,16,000.00

कुल स्वीकृत राशि ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०)

मात्र।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र का उपयोग नगर निकायों द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,

(ड) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,

(च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त स्वीकृत ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹1394.16 लाख (तेरह करोड़ चौरानवे लाख सोलह हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-04/2019 के पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक- 02/08/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक- 02/08/2019 को प्राप्त है।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-04/2019 046 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-6/8/19  
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.08.19

सरकार के विशेष सचिव।